## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 01/18** **निर्णय दिनांकः—27.09.2018**

1. पेमाराम पुत्र मेसाराम जाति मेघवाल निवासी गोगडियाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

**—बनाम—**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

**अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19—11—2001**
**उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर**

<u>उपस्थिति :—</u>

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

**—निर्णय—**

**1.** अपीलांट ने यह अपील उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 19—11—2001 जिसके द्वारा अपीलांट के धारण की भूमि को आबादी स्वीकृत किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में भू—राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

**2.** विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

**3.** विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के नाम चक 2 जीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 50/51 में किला नम्बर 16, 25 में 2 बीघा भूमि मिसल बन्दोबस्ती गैर खातेदारी भूमि है। जिसका तमाम रिकार्ड अपीलांट के नाम दर्ज चला आ रहा है। तहसीलदार उपनिवेशन, कोलायत द्वारा प्रस्ताव मंगवाये जाने पर आबादी

हेतु प्रस्ताव चक 3 जीडब्ल्यूएम के स्थान पर चक 2 जीडब्ल्यूएम 'ए' में आबादी प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 26—11—1993 को उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर को भिजवा दिये गये। तहसीलदार कोलायत द्वारा प्रेषित किये गये उक्त प्रस्ताव में अपीलांट के धारण की भूमि मुरब्बा नम्बर 50/51 के किला नम्बर 16 व 25 तादादी 2 बीघा भूमि भी शामिल कर दी गई।

उक्त प्रस्ताव में उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा दिनांक 13—12—1993 को तहसीलदार कालायत नम्बर 4 को आदेशित किया गया कि आबादी का औचित्य, अभिशंषा नहीं दशाई गई है तथा गैर खातेदार एवं आवंटी की लिखित सहमति भी भेजे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिस पर संबंधित तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिउत्तर दिनांक 15—02—1994 को प्रेषित करते हुए अभिलिखित किया गया कि गैर खातेदार अपनी भूमि आबादी के लिए छोड़ने हेतु तैयार नहीं है। तत्पश्चात् उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा दिनांक 16—10—1998 को तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नम्बर 4 को पत्र लिखा गया कि प्रस्तावित भूमि आबादी हेतु पर्याप्त नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव भिजवावें।

उक्त कार्यवाही के दौरान ही दिनांक 19—11—2001 को उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा बिना किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान किये एका—एक अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि को आदेश जैर अपील के माध्यम से आबादी हेतु सेट—अपार्ट करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। अदालत मातहत का उक्त आदेश कानून व पत्रावली के मद्देनजर विधि विरूद्ध आदेश है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। जबकि उपायुक्त उपनिवेशन, बीकनेर द्वारा प्रकरण में किसी भी गैर खातेदार अथवा आवंटी को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। तमाम कार्यवाही बाले—बाले एकतरफा तौर पर करते हुए अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि में आबादी स्वीकृत करने के आदेश प्रदान कर दिये गये। जिसका कतई अधिकार अदालत मातहत को प्राप्त नहीं था।

वादगत् भूमि अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि है जिसे अपीलांट ने अथक मेहनत करके काबिल काश्त बनाया है। मौके पर अपीलांट ढाणी बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है तथा मौके पर काश्त करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है एवं आज दिनांक को भी मौके पर किसी प्रकार की आबादी भूमि नहीं है ना ही किसी प्रकार के मकान आदि बने हुए है। अपीलांट द्वारा भूमि पर निरन्तर काश्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट के धारण की गैर खातेदारी भूमि है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट के धारण की गैर खातेदारी भूमि को आबादी हेतु स्वीकृत किया गया है। जबकि इस संबंध में अपीलांट की किसी प्रकार की कोई सहमति प्राप्त नहीं की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से आबादी हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर नगर नियोजक की सहमति के उपरान्त आदेश जैर अपील के माध्यम से वादगत् भूमि को आबादी हेतु स्वीकृत किया गया है। वादगत् भूमि अपीलांट की गैर खातेदारी भूमि है जिस पर अपीलांट का विधिक अधिकार नहीं बनता है। अपीलांट अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—11—2001 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील

29—11—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 2 जीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्क्बर 16 व 25 की 2 बीघा भूमि को आबादी हेतु स्वीकृत किया गया है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) इस संबंध में हमने अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि नगर नियोजक, बीकानेर द्वारा कैम्प बीकमपुर में चक 3 जीडब्ल्यूएम में आबादी हेतु तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नम्बर 4 से प्रस्ताव मंगवाये गये थे। जबकि संबंधित तहसीलदार द्वारा चक 3 जीडब्ल्यूएम के स्थान पर चक 2 जीडब्ल्यूएम के प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये है। उक्त प्रस्ताव में अपीलांट के धारण की भूमि मुरब्बा नम्बर 50/51 के किला नम्बर 16 व 25 की 2 बीघा भूमि भी शामिल की गई।

(4) **प्रकरण में अदालत मातहत की पत्रावली के अवलोकन पर यह तथ्य प्रकट होते है कि** उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा दिनांक 13—12—1993 को तहसीलदार कालायत नम्बर 4 को आदेशित किया गया कि आबादी का औचित्य तथा अभिशंषा नहीं दशाई गई है तथा गैर खातेदार एवं आवंटी की लिखित सहमति भी भेजे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिस पर संबंधित तहसीलदार द्वारा अपने प्रतिउत्तर दिनांक 15—02—1994 को प्रेषित करते हुए अभिलिखित किया गया कि गैर खातेदार अपनी भूमि आबादी के लिए छोड़ने हेतु तैयार नहीं है। तत्पश्चात् उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर द्वारा दिनांक 16—10—1998 को तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नम्बर 4 को पत्र लिखा गया कि प्रस्तावित भूमि आबादी हेतु पर्याप्त नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक प्रस्ताव भिजवावें।

**इसी क्रम में अदालत मातहत की पत्रावली पर विभिन्न स्तरों पर पत्राचार आदि किये गये है उक्त समस्त पत्राचार में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि संबंधित काश्तकारों द्वारा अपनी भूमि को आबादी हेतु आरक्षित करने में अपनी सहमति जाहिर नहीं की गई है।**

इसी क्रम में उपनिवेशन तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 732 दिनांक 26—03—1996 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि आवंटी के मूल निवास पर नोटिस भेजा गया परन्तु नोटिस बिना प्राप्ति के तहसील में प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में यह साबित होता है अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है।

(5) पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य साबित होता है कि वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के धारण की गैर खातेदारी भूमि है। जिस पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी संदर्भ में अदालत मातहत की आदेशिका का अवलोकन किया गया। उक्त आदेशिका में दिनांक 03—09—2007 को स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत द्वारा प्रस्तावित रकबा अन्य आवंटियों को आवंटनशुदा रकबा है अतः इस प्रकार का रकबा आबादी हेतु प्रस्तावित नहीं किया जाना चाहिए। अतः प्रस्ताव निरस्त किये जा सकते है।

अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेशिका के विपरीत जाकर आदेशिका दिनांक 03—09—2007 के करीब 4 वर्ष उपरान्त इस आधार पर की नगर नियोजक की रिपोर्ट दिनांक 31—01—1996 के मुताबिक आबादी आरक्षित की जाती है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश स्वमेव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यथा पत्राचार, राजस्व रिकार्ड व सुनवाई के अधिकार के विपरीत जाकर पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत व न्यायपरक नहीं माना जा सकता।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर दिनांक 19—11—2001 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर